

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना
वर्ष 2021-22 हेतु विज्ञापन

क्रमांक/तक./सीपीसी/2021-22/1095 (संक्षिप्त)

भोपाल, दिनांक 15.07.2021

कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2021-22)

कृषकों को कृषि फसलों के प्राथमिक प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) हेतु किराये पर मशीनें उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से "ऑन-लाइन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने हेतु व्यक्ति, पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) पात्र होंगे। ये कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र हेतु आवश्यक प्रोसेसिंग मशीनों के कय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख तक का "क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)" अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना (Annexure-IIC) में प्रत्येक मशीनों हेतु दिये गये प्रावधानानुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी, इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड(ए.आई.एफ) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रत्येक जिले में कुल-5 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 260 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों (सामान्य के कुल-200, अनुसूचित जन जाति के कुल-30 तथा अनुसूचित जाति के कुल-30 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 हेतु ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों/पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन(एफपीओ) को राशि रु. 10000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 22 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 10 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न सूची अनुसार जिलेवार किया जाएगा-परिशिष्ट-3)
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	-	दिनांक 16 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 17 अगस्त 2021 से देखी जा सकेंगी।)

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। **एक से अधिक जिलों/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।** ऑनलाइन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में दिनांक 10 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न जिलेवार सूची अनुसार) किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदकों की श्रेणीवार अनुसार लॉटरी दिनांक 16 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्रारंभ की जायेगी। विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक / तक. / सीपीसी / 2021-22 / 1095 (विस्तृत)

भोपाल, दिनांक 15.07.21

कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2021-22)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर प्रोसेसिंग मशीनें उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से "ऑन-लाइन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने हेतु व्यक्ति, पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन(एफपीओ) पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

आवेदन की प्रक्रिया -

1. प्रत्येक जिले में 5 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र (संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 260 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों (सामान्य, अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 हेतु ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों/पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन(एफपीओ) को राशि रु. 10000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट नीचे बिन्दु क्रमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 22 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 10 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न सूची अनुसार जिलेवार किया जाएगा-परिशिष्ट-3)
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	-	दिनांक 16 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 17 अगस्त 2021 से देखी जा सकेंगी।)

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, भोपाल"	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200

2	इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले।	“सहायक कृषि यंत्री, इन्दौर”	संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेटेलाइट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट भवन, इन्दौर दूरभाष - 0731-2368440
3	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	“सहायक कृषि यंत्री, सतना”	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड सतना, दूरभाष - 07672-222223
4	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	“सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर”	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928
5	सागर संभाग के सभी जिले।	“सहायक कृषि यंत्री, सागर”	संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृंदावन बाग ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर, दूरभाष - 07582-241554
6	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	“सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर”	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595

- योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है।
- अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे। पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) को उनसे संबंधित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होंगे। अभिलेख अथवा मूल बैंक ड्राफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर उन आवेदकों को प्राथमिकता सूची के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
- जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक/दिनांकों को किया जायेगा। सूचियों में प्राथमिकता का निर्धारण लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी निकालने का कार्य सबके समक्ष किया जावेगा अतः यदि कोई आवेदक उस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनांक को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।
- प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (सामान्य, अनु.जाति तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियाँ तैयार की जायेगी।
- संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक 18 अगस्त 2021 को कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।
- लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त

उपयुक्त पाये जाने पर भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत अपने मार्गदर्शन में आवेदकों से आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम प्रोसेसिंग योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होगी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदकों को केवल कस्टम प्रोसेसिंग का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा। ऐसे आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण उपरान्त आवेदकों द्वारा केन्द्र की स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को **“क्रेडिट लिंकड बैक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)¹”** के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

¹ (क्रेडिट लिंकड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)

पात्रता एवं शर्तें :-

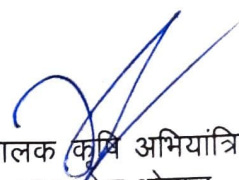
1. योजनांतर्गत आवेदक को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें उपलब्ध कराकर सेवाएँ दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र हेतु आवश्यक प्रोसेसिंग मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख तक का "क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)" अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधानानुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।
3. प्रत्येक जिले में परिशिष्ट-1 में दर्शायी सूची अनुसार कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 260 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों (सामान्य-200, अनुसूचित जनजाति-30 तथा अनुसूचित जाति-30 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र न्यूनतम रु. 10 लाख तथा अधिकतम रु. 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक-ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
7. योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 1 अप्रैल 2021 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) हेतु यह बाध्यता लागू नहीं होगी।
8. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) हेतु यह बाध्यता लागू नहीं होगी।
9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
10. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ए.आई.एफ. योजनांतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटेरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है। यह लाभ कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत तक के अनुदान के अतिरिक्त होता है। कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र की योजनांतर्गत प्राथमिकता सूची में आये आवेदकों को ए.आई.एफ. योजनांतर्गत पृथक से आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते हैं जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते हैं।
11. कस्टम प्रोसेसिंग योजनांतर्गत पंजीकृत कृषक समूह तथा फार्मर प्रोड्यूर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता सूची में इन आवेदकों के प्रकरणों पर निर्धारित सीमा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 01 केन्द्र तक प्राथमिकता दी जाकर विचार किया जायेगा।
12. एक परिवार/संस्था/समूह को एक से अधिक कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
13. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
14. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।
15. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में

- हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
16. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
 17. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
 18. योजना के तहत कय की गई मशीनों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन के नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
 19. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों के रख-रखाव, शेड निर्माण, मशीनोंस्थापना एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
 20. एक इकाई में क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट आवश्यक रूप से रखा जाना होगा जिसमें डि-स्टोनर, ग्रेविटी सेपरेटर तथा ग्रेडिएंट सेपरेटर सम्मिलित होना आवश्यक होगा। क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट की न्यूनतम क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त फसलों की प्रोसेसिंग से संबंधित अन्य मशीनों को रखा जा सकेगा जिसका चयन परिशिष्ट-2 में दर्शायी गई मशीनों में से किया जा सकता है। क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट एवं अन्य प्रसंस्करण मशीनों को भारत सरकार-आईसीएआर द्वारा निर्धारित निम्न मापदंडों की पूर्ति करना आवश्यक होगा -

क्रमांक	मशीन का नाम	मापदंड बिन्दु	न्यूनतम मापदंड पूर्ति
1	क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट	शुद्ध अनाज का प्रतिशत (फर्स्ट ग्रेड)	98 प्रतिशत से अधिक
		ग्रेडिंग जाली की संख्या	3
		क्लीनिंग एफिसिएन्सी	80 प्रतिशत से अधिक
2	डि-स्टोनर	क्लीनिंग एफिसिएन्सी	80 प्रतिशत से अधिक
3	ग्रेविटी स्परेटर	क्लीनिंग एफिसिएन्सी	80 प्रतिशत से अधिक
4	दाल मिल	रिकवरी प्रतिशत	65 प्रतिशत से अधिक
		मिलिंग एफिसिएन्सी	65 प्रतिशत से अधिक
5	राईस मिल	रिकवरी प्रतिशत	65 प्रतिशत से अधिक
		मिलिंग एफिसिएन्सी	60 प्रतिशत से अधिक
6	मिलेट मिल	डि-हस्किंग एफिसिएन्सी	80 प्रतिशत से अधिक
7	आईल एक्सट्रेक्टर	आईल एक्सपेलिंग एफिसिएन्सी	70 प्रतिशत से अधिक

प्रोजेक्ट अंतर्गत मशीनों का कय संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं तथा सामग्री से किया जाना होगा। कय की जा रही मशीनों को पोर्टल पर दर्शायी दरों से अधिक दर पर कय नहीं किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय पंजीयन समिति में पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा अन्य विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाइट www.dbt.mpdage.org पर उपलब्ध है।

21. कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा तथा किये गये कार्यों का विवरण कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा।


 संचालक/कृषि अभियांत्रिकी
 मध्यप्रदेश भोपाल

वर्ष 2021-22 हेतु कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना के जिलेवार लक्ष्य

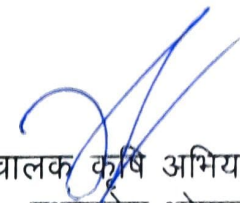
क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
1	भोपाल	4	0	1	5
2	सिहोर	4	0	1	5
3	रायसेन	4	0	1	5
4	विदिशा	4	0	1	5
5	राजगढ़	4	0	1	5
6	होशंगाबाद	4	0	1	5
7	हरदा	4	1	0	5
8	बैतूल	4	1	0	5
9	उज्जैन	4	0	1	5
10	मंदसौर	4	0	1	5
11	रतलाम	4	1	0	5
12	देवास	4	0	1	5
13	शाजापुर	4	0	1	5
14	आगर	4	0	1	5
15	नीमच	4	0	1	5
16	इंदौर	4	0	1	5
17	धार	3	2	0	5
18	झाबुआ	2	3	0	5
19	खरगौन	4	1	0	5
20	बड़वानी	3	2	0	5
21	खण्डवा	4	1	0	5
22	बुरहानपुर	4	1	0	5
23	अलीराजपुर	2	3	0	5
24	ग्वालियर	4	0	1	5
25	शिवपुरी	4	0	1	5
26	गुना	4	0	1	5
27	अशोकनगर	4	0	1	5
28	दतिया	4	0	1	5
29	मुरैना	4	0	1	5

क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
30	श्यापुर	4	1	0	5
31	भिण्ड	4	0	1	5
32	सागर	4	0	1	5
33	दमोह	4	0	1	5
34	पन्ना	4	0	1	5
35	टीकमगढ़	4	0	1	5
36	निवाडी	4	0	1	5
37	छतरपुर	4	0	1	5
38	जबलपुर	4	0	1	5
39	कटनी	4	1	0	5
40	बालाघाट	4	1	0	5
41	छिंदवाडा	4	1	0	5
42	सिवनी	4	1	0	5
43	मण्डला	3	2	0	5
44	नरसिंहपुर	4	0	1	5
45	डिण्डोरी	3	2	0	5
46	रीवा	4	0	1	5
47	सीधी	4	1	0	5
48	सतना	4	0	1	5
49	सिंगरौली	4	1	0	5
50	शहडोल	4	1	0	5
51	अनुपपुर	4	1	0	5
52	उमरिया	4	1	0	5
	योग	200	30	30	260

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

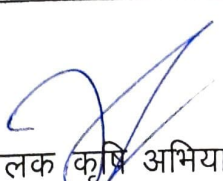
प्रोसेसिंग मशीनों की सूची

क.	प्रोसेसिंग मशीनें
1	मिनी राईस मिल
2	मिनी दाल मिल
3	आईल एक्सट्रेक्टर
4	मिलेट प्रसंस्करण प्लांट
5	मल्टी कमोडिटी फ्लोर मिल / दलिया मिल
6	सीड प्रोसेसिंग प्लांट
7	सहायक मशीनरी जैसे पैकिंग और सीलिंग यूनिट(बीआईएस मार्क)


 ✕ संचालक कृषि अभियांत्रिकी
 मध्यप्रदेश भोपाल

अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित तिथियाँ

क्रं.	संभाग	निर्धारित तिथि	जिलों का नाम
1	भोपाल संभाग	10.08.2021	भोपाल एवं राजगढ़
		11.08.2021	विदिशा एवं रायसेन
		12.08.2021	होशंगाबाद एवं हरदा
		13.08.2021	बैतूल एवं सीहोर
2	इन्दौर	10.08.2021	इंदौर ,झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार
		11.08.2021	खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर
		12.08.2021	देवास, शाजापुर एवं आगर-मालवा
		13.08.2021	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच
3	ग्वालियर	10.08.2021	ग्वालियर एवं दतिया,
		11.08.2021	भिण्ड एवं मुरैना
		12.08.2021	श्योपुर एवं शिवपुरी
		13.08.2021	अशोकनगर एवं गुना
4	सागर	10.08.2021	सागर एवं दमोह
		11.08.2021	टीकमगढ़ एवं निवाड़ी
		12.08.2021	छतरपुर
		13.08.2021	पन्ना
5	जबलपुर	10.08.2021	जबलपुर एवं कटनी
		11.08.2021	छिन्दवाड़ा एवं सिवनी
		12.08.2021	मण्डला एवं नरसिंहपुर
		13.08.2021	बालाघाट एवं डिण्डोरी
6	रीवा-शहडोल संभाग	10.08.2021	रीवा एवं सतना
		11.08.2021	सीधी एवं सिंगरौली
		12.08.2021	शहडोल एवं अनूपपुर
		13.08.2021	उमरिया


 < संचालक कृषि अभियांत्रिकी
 मध्यप्रदेश भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./सीपीसी./2021-22/1123

भोपाल, दिनांक 14-7-2021

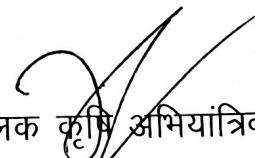
कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2021-22)
संशोधन 1

संचालनालय का पत्र क्रमांक/तक./सीपीसी./2021-22/1095 (विस्तृत) भोपाल दिनांक 15.07.2021 से कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा निर्देशों की पात्रता एवं शर्तें अंतर्गत निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं—

1. बिन्दु क्रमांक 4 में कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र की न्यूनतम लागत 10.00 लाख होना दर्शाया गया है जिसे न्यूनतम 8.00 लाख किया जाता है।
2. बिन्दु क्रमांक 20 में ईकाई अंतर्गत रखी जाने वाली मशीनों की गुणवत्ता के मापदण्ड दर्शाये गये हैं। इन मापदण्डों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रोसेसिंग मशीनों की टेस्टिंग हेतु अधिकृत निम्न 4 संस्थानों द्वारा यदि किसी प्रोसेसिंग मशीन की टेस्टिंग कर उसकी टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है तो वे मशीनें भी इस योजना अंतर्गत पात्र होंगी।

क्रं	भारत सरकार द्वारा प्रोसेसिंग मशीनों की टेस्टिंग हेतु अधिकृत संस्थान
1	केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना (पंजाब)
2	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल (मध्यप्रदेश)
3	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
4	राज्य स्तरीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

अतः उपरोक्त बिन्दुओं अंतर्गत दर्शाये गये संशोधन/अतिरिक्त बिन्दु को मूल सूचना के साथ पढ़ा जावे।


संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल